

दिनांक 23/11/20 को कोर्ट में  
 पत्रावली के कारण जॉन डब्ल्यू. से पत्रावली  
 के लिए आवेदन नहीं किया जा सका। पत्रावली  
 के लिए आवेदन दिनांक 23/11/20 को पेश हो  
 सका।

6/11/20 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपा.  
 अ. प्रार्थी उपा. की तलबी रजिस्टर्ड  
 नोटिस से कराई जाकर पत्रावली  
 दिनांक 26/11/20 को पेश हो।  
 जय

26/11/20 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली तैरे/अन्य  
 कारणों से पेश की जा सकी। पत्रावली दिनांक  
 23/11/20 को पेश हो।

3/11/20 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्डोलेंस/  
 अ. प्रार्थी उपा. करने के कारण पत्रावली नहीं  
 पेश की जा सकी। पत्रावली दिनांक 4/11/20

4/12/20 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपा.  
 अ. प्रार्थी उपा. की तलबी रजिस्टर्ड नोटिस से  
 कराई जाकर पत्रावली दिनांक 14/12/20  
 को पेश हो।  
 जय

14/12/20 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपा.  
 अ. प्रार्थी उपा. की तलबी रजिस्टर्ड नोटिस  
 से कराई जाकर पत्रावली दिनांक  
 18/12/20 को पेश हो।  
 जय

18/12/20 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपा.  
 अ. प्रार्थी उपा. के वकील उपस्थित। उपा.  
 अ. प्रार्थी उपा. के वकील उपस्थित। उपा.  
 अ. प्रार्थी उपा. के वकील उपस्थित। उपा.  
 अ. प्रार्थी उपा. के वकील उपस्थित। उपा.

## फर्द अहकाम

<b>बनाम</b> _____		
संख्या / वर्ष : _____ / 20 _____		
दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>             रेवड़ मु.नं. 94/20 में नए प्राप्त भूमि चाही गयी रिक्तीक व पक्का मसारा होते से हमफीता कर दिया है ऐसी स्थिति में इस पर पर्वराफ्त को आगे चलाया जाना उचित नहीं है प्रता पर्वराफ्त को पर्वराफ्त रवाजिज किया जाता है, न्यायालय द्वारा दिनांक 24.8.20 को जारी आदेश परमान्त रूप से निरस्त किया जाता है। पत्रावकी फैसल धुमार हो काउंटरकमील सिलेस इफतेहो।           </p> <p style="text-align: right;">             आज्ञा दिनांक 18.12.20 को यह निर्देश खुले न्यायालय में सुनाया गया।              अज           </p>	